संख्या 29/1542/35-4-2014

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर,2014

विषय: वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सोनभद्र में शासनादेश संख्या: 525/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च,2013 के साथ पठित शासनादेश संख्या: 945/35-4-2014 दिनांक 04 अगस्त,2014 द्वारा जल निकासी से संबंधित कार्य यथा: **राबर्टसगंज नगर के गन्दे जल निकासी हेतु इण्डो ट्रेडर्स से हिन्दुवारी (बेलन नदी) तक कवर्ड नाला निर्माण** कार्य की रू. 616.32 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 462.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। जिलाधिकारी के पत्र संख्या: 593/त्व0आ0वि0यो0/2014-15 दिनांक 09 दिसम्बर,2014 द्वारा उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 153.72 लाख (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख बहत्तर हजार मात्र) होता है, आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 31 मार्च,2013 एवं 04 अगस्त,2014 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- कार्य के लिये अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- प्रश्नगत धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

http://sansadarsh.up.nic.in

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-02-मल जल तथा सफाई-101-शहरी सफाई सेवायें-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/ दस- 2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:29/1542(1)/35-4-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, विन्ध्यांचल मण्डल ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
8- मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र ।
9- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सोनभद्र ।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in